

सुरेन्द्र सिंह बनाम मेवा सिंह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए


प्रार्थना पत्र :-141/2019


हुपम या कार्यवाही मथ इनिशियल्स जज


नम्बर व 00000
अडकाम जो इरा
की तामिल में जारी

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रार्थी की र से श्री राकेश सिहाग अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को जा गया। प्रस्तुत कागजात का अवलोकन किया गया। प्राथमिक दृष्टि से संतुष्ट कर अप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की गी जाती है कि अप्रार्थीगण चक 12 बीजीएस की जमाबंदी सम्वत् 70-2073 के खाता संख्या 63/3 मे दर्ज कुल खाता 2.099 है0 आराजी मे से 0 ज्ञान कौर के नाम से दर्ज 0.450 है0 आराजी एव चक 12 बीजीएस की हाबंदी सम्वत् 2070-2073 के खाता संख्या 2/3 दर्ज कुल खाता 2.365 है0 आराजी मे से स्व0 ज्ञान कौर के नाम से दर्ज 0.716 है0 एवं 12 बीजीएस की हाबंदी 2070-2073 के खाता संख्या 104/3 दर्ज कुल खाता 2.367 है0 आराजी से स्व0 ज्ञान कौर के नाम से दर्ज 0.596 है0 आराजी के राजस्व रिकोर्ड की गस्थिति आगामी पेशी दिनांक 16.09.2019 तक बनाये रखें।

अप्रार्थीगण को तलबी हेतु रजिस्टर्ड एडी सम्मन नोटिस 24 प्टे के अंदर जारी किया जावे जिसके लिए प्रार्थी के अधिवक्ता रजिस्टर्ड एडी से रसीद आइन्दा तारीख पेशी पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही समाप्त समझी जावे। अप्रार्थी के उपस्थित होने पर प्रार्थी के धिवक्ता बहस करने हेतु बाध्य होंगे यदि बहस नहीं की जाती है, तो अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही समाप्त समझी जावेगी। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16.09.2019 को पेश हो।


(यशपाल आहुजा)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

 पत्रावली पेश हुई पीट्रसीन अधिकारी अन्य कार्य प्रेषित। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 06-01-2020 पेश है।

1-19 पत्रावली पेश हुई। वकील जॉर्ज उपस्थित। वकील जॉर्ज को अप्रार्थीगण से तलबी कावाचे ज्ञाने की दिवाचत दी जाकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 06-01-2020 को पेश है। 

L 020 पत्रावली पेश हुई। वकील जॉर्ज उपस्थित। वकील जॉर्ज द्वारा पत्रावली में Notpress का कॉकंग किया गया। वकील जॉर्ज

Not Press
2 नवीं पेश

कंपन प्रार्थना पर आगे नही चलावा
चा हवा है। प्रार्थना पर जहाँ एवं
जाती की गई है - अस्वामी विवेकानंद
की इसी स्टेज पर व्याज की जाती है।
पत्रावली केवल सुमा (देकर नकल
से कम देकर दाखिल दृष्ट कर है।
दामि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

